

**उत्तराखण्ड शासन**  
**वित्त अनुभाग-8**  
सं० 804/2011/181(120)/XXVII(8)/2008  
दिनांक: देहरादून :: 22 जुलाई, 2011

**अधिसूचना**

राज्यपाल, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956(अधिनियम सं० 74 वर्ष 1956) की धारा 13 की उपधारा (3) एवं उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

**उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) नियम, 2011**

**1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) नियम, 2011 है।
- (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

**2- नियम 8 में उपनियमों का जोड़ा जाना :**

उत्तराखण्ड केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 2006 जिसे यहाँ "मूल नियम" कहा गया है, में-  
नियम 8 के वर्तमान उपनियम (18) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ दिये जायेंगे; अर्थात्-  
(19) कमिश्नर किसी पंजीकृत ब्यौहारी अथवा पंजीकृत ब्यौहारियों की किसी ऐसी श्रेणी को जिसको व उचित समझे अथवा सभी पंजीकृत ब्यौहारियों को ऐसे घोषणा पत्रों, जैसे कि केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवं आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित है, अपने लिये डाउनलोड तथा प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।


(20) उपनियम (19) के प्रयोजन हेतु कमिश्नर ऐसे घोषणा पत्रों को, जो कि डाउनलोड किये जा सकते हैं, की श्रृंखला एवं क्रम संख्या को अधिकृत एवं विहित कर सकता है।

(21) उपनियम (20) के अनुसार डाउनलोड किये गये घोषणा पत्रों को स्वयं ब्यौहारी अथवा फर्म, कम्पनी आदि के मामले में इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे हस्ताक्षर का नमूना कमिश्नर तथा कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(22) नियम 8 के अन्य सभी उपबन्ध, डाउनलोड किये गये घोषणा पत्रों में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी के कार्यालय से प्राप्त घोषणा पत्रों में लागू होते हैं।

परन्तु यह कि उक्त घोषणा पत्रों के डाउनलोड किये जाने की सुविधा उन्हीं ब्यौहारियों को अनुमन्य होगी जिनके द्वारा बीजकों का विवरण विहित प्ररूप 17(ग), 17(च), 17(ज), 17(झ) एवं 17(ञ), जैसी भी स्थिति हो, में सावधिक विवरणियों के साथ अपलोड किये गये हों;

परन्तु यह और कि कमिश्नर, घोषणा पत्रों एवं ऐसे प्ररूपों को जारी करने हेतु आवेदनों को डाउनलोड करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।


  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० ४०५/2011/181(120)/XXVII(8)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाइल हेतु/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

in pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 84/2011/181(120)/XXVII (8)/2008 dated 22 July, 2011 for general information.

**Uttarakhand Shasan**

**VITTA ANUBHAG-8**  
No. 84/2011/181(120)/XXVII(8)/2008  
Dehradun :: Dated: 22 July, 2011

**Notification**

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Central Sales Tax Rules, 2006.

**The Uttarakhand Central Sales Tax (Amendment) Rules, 2011**

**1. Short title and Commencement:**

- (1) These rules may be called The Uttarakhand Central Sales Tax (Amendment) Rules, 2011
- (2) They shall come into force with immediate effect.

**2. Addition of sub-rules in Rule- 8:**

In Uttarakhand Central Sales Tax Rules, 2006, herein referred to as the "Principal Rules"-  
After the exiting sub-rule (18) of Rule 8, the following sub-rules shall be added; namely –

- (19) Commissioner may authorize a registered dealer or a class of registered dealers, as he may deem fit or all the registered dealers to download for themselves and to use such declaration forms as prescribed under rule-12 of Central Sales Tax (R&T) Rules, 1957.
- (20) For the purpose of sub-rule (19) Commissioner, may authorize and prescribe the series and serial nos. of such declaration forms, which can be downloaded.
- (21) Declaration forms downloaded as per sub-rule (20) shall be signed by the dealer himself or in case of a firm, company etc, by the signatory authorized for this purpose and the specimen of such signature shall be furnished to the Commissioner and the assessing authority.
- (22) All other provisions of rule-8 shall be applicable to the downloaded declaration forms as they apply to the declaration forms received from the office of the assessing authority.

provided that downloading of declaration forms shall be permissible only for the invoices which are uploaded by the dealer in the prescribed Form 17(C), 17(F), 17(H), 17(I), or 17(J) as the case may be, along with the periodical returns.

Provided further that the Commissioner may issue instructions regarding the procedure of downloading of declaration forms and for application for issue of such forms.

  
(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.